वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्र अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

- 22 सितंबर, 2023 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन्य-प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्रदाय की गई स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्त के पालन में ज़िला सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नौरादेही अभयारण्य को वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित किया है।
- वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य मध्य प्रदेश का सातवाँ टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का 1414.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र तथा 925.120 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- अधिसूचित बफर क्षेत्र में नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभयारण्यों का पूर्व से अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन एवं आस-पास के वनक्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इस टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र शामिल नहीं किये जाने के कारण टाइगर रिजर्व के आस-पास के स्थानीय लोगों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लागू किये जाएंगे। टाइगर रिजर्व में पूर्व से ही अधिसूचित अभयारण्य क्षेत्र अथवा ईको सेंसेटिव क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इस टाइगर रिजर्व की स्थापना से इन वनों से प्राप्त होने वाली पारिस्थितिकीय सेवाओं
- (Eco-system Services) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जो वर्तमान
- भावी पीढ़ियों के लिये पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्रदान करेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/various-areas-notified-in-veerangana-durgavati-tiger-reserve